न्यायालय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – अवि गर्ग आरएएस

मुकदमा संख्या :– 263/2017

अनुवान मुकदमा –

दीपक कुमार उम्र 26 वर्श पुत्र श्री सुभाशचन्द्र जाति जाट साकिन वार्ड नं. 23 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा

जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1. सुभाशचन्द्र पुत्र श्री हरलाल जाति जाट साकिन वार्ड नं. 23 पीलीबगा तहसील पीलबंगा जिला हनुमानगढ
2. ज्योति पुत्रीा सुभाशचन्द्र पत्नि प्रदीप कुमार जाति जाट साकिन लाधूवाली तहसील व जिला श्रीगगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये (राजस्व) पीलीबंगा पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण–

उपस्थित :– 1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता वादी ।

2. श्री मारूफ खान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2

3. राज पेरोकार।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0 अधि0

वाद वादी संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रतिवादी सं. 1 वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पिता है तथा वादी हिन्दू सयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से भाासित होते है। तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअ ादायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता वादी के दादा श्री हरलाल थे तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से सयुक्त खाता की खातेदारी कृशी भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 9 पीबीएन–बी के खाता सं. 58 के पं. नं. 48/306(43)के कि. नं. 16 ता 25, पं. नं. 49/306(44) के कि. नं. 14/2, 15, 17/2, 18/2, 19, 20/2, 21, 22, पं. नं. 48/307 (46) के दृ नं. 1 ता 5,7,8 कुल तादादी 4.1173 हैक. नहरी मे से 1.231 हैक. नहरी कृशी भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से सयुक्त खाता की कृशी भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 09 पीबीएन–बी के खाता सं. 59 के पं. नं. 45/307(49) के कि. नं. 1 ता 20 की कुल ताादी 5.060 हैक. नहरी म.गै.मु. मे से 1/4 हिस्सा कृशी भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 दर्ज अभिलेख है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से सयुक्त खाता की खातेदारी कृशी भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 38 एनबीआर(टीपी) के खाता सं. 29 के पं. नं. 82/347(25) के कि. नं. 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19 , 20/2, 21/2, 22 ता 25, पं. नं. 83/347(26) के कि. नं. 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ता 25, पं. नं. 84/347(27) के किं. नं. 1 ता 25, पं. नं. 84/347(27) के किं. नं. 1/2, 2 ता 9 , 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2 ता 25/2, पं.नं. 85/347(28) के किं. नं. 1 ता 3, 8ता 13, 18 ता 20, पं. नं. 84/348(32) के ं. नं. 2 ता 9, 12 ता 16, 17/2 ता 19/2, 23/2, 24/2, पं. नं. 82/348(34) के किं.नं. 1 ता 15 इस प्रकार कुल तादादी 28.728 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड म.गै.मु. मे से 2.404 हेक. में से 1/3 हिस्सा कृशी भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 दर्ज राजस्व अभिलेख है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृशी भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं 25 एसटीजी के खाता सं. 86 के पं. नं. 46/308(5) के कि. ंनं. 18, 19, 21 ता 23, पं. नं. 46/309(9) के किं. नं. 1 ता 3, 8 ता 14, 18/1, 19 ता 21 कुल तादादी 3.869 हैक. नहरी म.गै.मु. कृशी भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 दर्ज

राजस्व अभिलेख है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृशी भूमि प्रतिवादी सं. 1 को दादा श्री हरलाल से विरास्तन प्राप्त भुद्वा है। तथा वाद पत्र की दफा 2 ता 6 में वर्णित कृशी भूमि दादा श्री हरलाल ने अपने जीवनकाल में वादी के पिता यानी प्रतिवादी सं. 1 व अपने अन्य पुत्रों को उनकी छोटी उम्र मे ही आंवटन करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई। इस प्रकार प्र नगत कृशी भूमि वादी की पैतृक कृशी भूमि है

जिसमें वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है। तथा प्र नगत कृशी भूमि का दादा श्री हरलाल के देहान्त के प चात अच्छी मंन्दी व का त की सहुलियत के हिसाब से वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 के मध्य घरू बटवारा हुआ है। तथा जिसमें वादी को प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1.231 हैक. कृशी भूमि प्राप्त हुई भोश रकबा प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुआ तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृशी भूमि पर घरू बंटवारा के समय से ही बिना किसी विवाद के चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे समस्त कृशी भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असंर पडता है। तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1.231 हैक. कृशी भूमि की खातेदारी घोशणा करवाने प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से श्री मारूफ खान अधिवक्ता ने उपस्थित आकर राजीनामा पे । किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षों द्वारा मुताबिक राजीनामा वादी का वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जबाब स्टेट पे ा कर निवेदन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये वाद का निस्तारण किया जावें।

बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अध्ययन किया गया। उक्त विवादित भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी। हरलाल की मृत्यु के प चात वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरासतन दर्ज हुई जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वाद वादी साबित होने के कारण निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि **प्रतिवादी सं. 1 के नाम की** चक नं. 9 पीबीएन–बी के खाता सं. 58 के पं. नं. 48/306(43) के कि. नं. 16 ता 25, पं. नं. 49/306(44) के कि. नं. 14/2, 15, 17/2, 18/2, 19, 20/2, 21, 22, पं. नं. 48/307 (46) के कि नं. 1 ता 5, 7, 8 कुल तादादी 4.1173 हैक. नहरी मे से 1.231 हैक. नहरी खातेदारी कृशी भूमि का वादी को खातेदार का तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी आ य की पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official